राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 891वी बैठक दिनांक 22.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 891वी बैठक दिनांक 22.08.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	10687 / 2023	1(a)	डिण्डौरी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये।
2.	10803 / 2023	1(a)	मंदसौर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये।
3.	9188 / 2022	1(a)	ग्वालियर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये।
4.	9853 / 2023	1(a)	सागर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये।
5.	9854 / 2023	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये।
6.	1900 / 2014	1(a)	नीमच	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
7.	2798 / 2015	1(a)	शहडोल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
8.	1377 / 2013	1(a)	शहडोल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
9.	2265 / 2015	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
10.	7271 / 2020	1(a)	टीकमगढ़	पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11.	11238/2024	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
12.	6043/2019	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
13.	1713/2014	2(b)	अनूपपुर	कोल वेनिफिकेशन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	Close
14.	9215/2014	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण किया जाये।
15.	3498/2015	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	निरस्त
16.	3415/2015	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण किया जाये।
17.	908/2012	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
18.	5552/2017	1(a)	बालाघाट	डोलोमाईट खदान	For Corrigendum	निरस्त
19.	P-2/521/24	1(a)	भोपाल	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंस स्पष्ट नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	2310/2014	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 891वी बैठक दिनांक 22.08.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **प्रकरण क्र. 10687/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अम्बुज जैन, आत्मज श्री अजय कुमार जैन निवासी– वार्ड क. –13, मकान नं. 472, बघराजी, तहसील कुण्डम ,जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16055 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.900 हेक्टेयर, खसरा 85, 89/1, ग्राम भरद्वारा माल, तहसील शहपुरा, जिला डिण्डोरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 863-A बैठक दिनांक 10.06.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"....यहां उल्लेखनीय है होगा कि माननीय विधायक श्री प्रणय पाण्डे, बहोरीबंद जिला अनूपपुर द्वारा SEIAA की बैठक दिनांक 29.05.2024 प्रस्तुत पत्र के साथ, जिला डिण्डौरी द्वारा जारी दो एकल प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं। प्रथम एकल प्रमाण पत्र दिनांक 06.03.2023 को जारी किया गया जिसके अनुसार श्री संदीप राय की खदान के 500 मीटर की परिधि में श्रीमती रेखा गोस्वामी की 0.70 हेक्टेयर की खदान स्वीकृत/संचालित होना बताया गया जिसका संदीप राय की खदान को मिलाकर कुल रकबा 2.70 हेक्टेयर होता है। दूसरा एकल प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2023 को अर्थात् 03 माह बाद जारी हुआ है जिसमें श्री अंबुज जैन की खदान के 500 मीटर की परिधि में श्री संदीप राय की 2.00 हेक्टेयर की खदान स्वीकृत/संचालित होना दर्शाई गई है जिसका अम्बुज जैन की खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.90 हेक्टेयर होता है। दूसरे एकल प्रमाण पत्र में प्रथम एकल प्रमाण पत्र में उल्लेखित श्रीमती रेखा गोस्वामी की खदान को नहीं दर्शाया गया है। अगर तीनो खदानों के क्षेत्र का योग किया जाये तो यह रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है। इस स्थिति में तीसरी खदान कलस्टर में होने के कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी में आयेगा।

अतः कलेक्टर डिण्डौरी से स्पष्ट कराया जाये कि श्रीमती रेखा गोस्वामी के नाम पर स्वीकृत खदान जिसका रकबा 0.70 हेक्टेयर है, अगर वर्तमान में बंद होकर वैध नहीं है तो ही यह अम्बुज जैन की खदान बी–2 श्रेणी में आयेगी अन्यथा इसे बी–1 श्रेणी में आवेदन करना होगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 एवं 735वी बैठक दिनांक 02.04.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के आदेश कमांक 151 दिनांक 30.05.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

2. **प्रकरण क्र. 10803/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज जैन, निवासी मकान नं. 930, वार्ड सदर बाजार, सुवासरा जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम– सेण्ड खदान उत्पादन क्षमता (पत्थर 5940, एम–सेण्ड 15190 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 80, ग्राम अंतरालिया, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 851 बैठक दिनांक 16.05.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"…. उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदाय की गई जानकारी पूर्ण नही पायी गई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्र. 408 दिनांक 29.04.2024 के माध्यम से मात्र 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी प्रदाय की गई है एवं खदान क्षेत्र में स्थित कंटूर ट्रेंचेस के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कलेक्टर जिला मंदसौर से उपरोक्त पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 728वी बैठक दिनांक 05. 03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 616 दिनांक 11.04.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षों में से काटे जाने वाले 5 पेड़ के एवज में 50 पौधों का रोपण किया जायेगा एवं लीज में मौजूद शेष वृक्षों एवं रोपित पौधों का ट्रीगार्ड लगाकर संरक्षण किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत ही पेड़ को काटा जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. **प्रकरण क्र. 9188/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे.पी. माइन्स एंड मिनरल्स पार्टनर श्री पवन कुमार सिंघल, निवासी 704, सत्यम् टॉवर, सिटी सेन्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 75852 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.390 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य क्षेत्र 1.75 हे.), खसरा 1, 4, 7, 52, ग्राम – बिलेरा, तहसील तानसेन, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 739वी बैठक दिनांक 23.04.2024 एवं 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 859 बैठक दिनांक 05.06.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

SEAC की अनुशंसानुसार प्राकृतिक नहर से निर्धारित दूरी छोड़ने गैर खनन 1.28 हे. के पश्चात् खनन हेतु 1.71 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है, परंतु उत्पादन क्षमता में कोई संशोधन नहीं किया गया है और ना ही कम किये गये लीज क्षेत्र का पुनरीक्षित अनुमोदित खनन योजना प्राप्त की गई हे। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारिण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में पुनरीक्षित खनन योजना प्राप्त कर परीक्षण करने के उपरांत अनुशंसा प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ संशोधित अनुमोदित खनन योजना के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। तबत प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में शपथ प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 739वी बैठक दिनांक 23.04.2024 एवं 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 100113 दिनांक 01.02.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई प्रतिबद्धता अनुसार संशोधित अनुमोदित खनन योजना प्राधिकरण में प्रस्तुत करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

4. **प्रकरण क्र. 9853/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र ठाकुर, निवासी– वार्ड नं0 114, शाहपुर नगर परिषद, जिला सागर (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम. सैण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 7858 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं एम. सैण्ड 22004 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा 37/1, ग्राम – मसवासी ग्रान्ट तहसील व जिला सागर (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 651वी बैठक दिनांक 09.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 793 बैठक दिनांक 21.06.2023 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में में 07 पेड़ लगे है जिनमें से 07 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 70 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 651वी बैठक दिनांक 09. 06.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र कमांक 1531 दिनांक 13.10.2021 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.10.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 07 वृक्षों में से काटे जाने वाले 07 पेड़ के एवज में 70 पौधों का रोपण किया जायेगा एवं रोपित पौधों का ट्रीगार्ड लगाकर संरक्षण किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत ही पेड़ को काटा जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

5. **प्रकरण** क्र. 9854/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा, निवासी– ग्राम रूसुल्ला बमौरा, जिला सागर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19629 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा 37/1 ग्राम मसवासी ग्रान्ट तहसील सागर जिला सागर (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 651वी बैठक दिनांक 09.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 793 बैठक दिनांक 21.06.2023 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में में 05 पेड़ लगे है जिनमें से 01 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 651वी बैठक दिनांक 09.06.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1038 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 05 वृक्षों में से काटे जाने वाले 01 पेड़ के एवज में 50 पौधों का रोपण किया जायेगा एवं लीज में मौजूद शेष वृक्षों एवं रोपित पौधों का ट्रीगार्ड लगाकर संरक्षण किया जायेगा। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत ही पेड़ को काटा जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

6. प्रस्ताव क्र SIA/MP/MIN/519482/2025 **Case No. 1900/2014** Prior Environment Clearance for approval of proposed Basalt Stone Quarry in an area of 4.00 ha. for the production capacity 10,125 Cum/ year (As per SEAC recommendation) at Village-Singadiya Pipalya, Tehsil-Rampura, District-Neemuch (MP) By Shri Narendra Bairagi, Village- Aantrima, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP) **Regarding transfer of EC in the name of M/s Shivam Stone Crusher, Partner Shri. Satish Porwal, (Partner), R/o village Antri Bujurg, Tehsil Manasa, District Neemuch** (MP).

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Narendra Bairagi, Village- Aantrima, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **M/s Shivam Stone Crusher, Partner Shri. Satish Porwal, (Partner), R/o village Antri Bujurg, Tehsil Manasa, District Neemuch** (MP) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **M/s Shivam Stone Crusher, Partner Shri. Satish Porwal, (Partner), R/o village Antri Bujurg, Tehsil Manasa, District Neemuch** (MP) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद- विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 3068 दिनांक 13.03.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) नीमच का आदेश क्र. 1375 दिनांक 06.10.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 16.12.2024 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार पाया गया :-

1. **पूर्व परियोजना प्रस्तावक एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक का प्रस्तुत शपथ पत्र नोटराईज्ड नहीं है।**
2. **लीज की वैधता समाप्त हो चुकी है।**
3. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त प्रारंभिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जो कि आवेदन के साथ ही प्रस्तुत किये जाने थे। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

7. प्रस्ताव क्र SIA/MP/MIN/519327/2025 **Case No. – 2798/2015** Prior Environmental Clearance for Bhanni Stone Mine (Opencast Semi Mechanized Method) in an area - 1.00 ha. for production capacity of 5,000 cum/year at Khasra No. – 326/1 ka & 326/1 kha at Village-Kanchanpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (M.P.) by Shri Rakesh Agrawal, M/s Rakesh Stone Crushing Industry, Deepshikha Bhawan, Civil Lines, Shahdol (MP)-484001 **Regarding transfer of EC in the name of** Smt. Sudha Agarwal R/o Ward No. 11 house No. 11/354 Deepshika Bhawan Civil line, Sohagpur, Shahdol (M.P.) 484001.

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. नवीन परियोजना प्रस्तावक Smt. Sudha Agarwal R/o Ward No. 11 house No. 11/354 Deepshika Bhawan Civil line, Sohagpur, Shahdol (M.P.) 484001 के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

II. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 10341 दिनांक 05.01.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

III. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

V. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल का आदेश क्र. 1003 दिनांक 10.08.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 11.02.2026 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. **पूर्व परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।**
2. **नवीन परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र।**
3. **पूर्व परियोजना प्रस्तावक का मृत्यु प्रमाण पत्र।**

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

8. प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/519109/2025 **Case No. 1377/2013-** Prior Environmental Clearance for **Stone Boulder Quarry** (Manual/semi mechanized method) in an area of 0.404 ha. for production capacity 1,864 cum/year **(as per approved mine plan)** at Khasra No. 362, Village Kanchanpur, Tehsil Sohagpur, District Shahdol, MP by Shri Rakesh Kumar Agrawal R/o Ward No. 11, Civil Line, Shahdol (M.P.)-484001 **Regarding transfer of EC in the name of** Smt. Sudha Agarwal R/o Ward No. 11 house No. 11/354 Deepshika Bhawan Civil line, Sohagpur, Shahdol (M.P.) 484001.

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. नवीन परियोजना प्रस्तावक Smt. Sudha Agarwal R/o Ward No. 11 house No. 11/354 Deepshika Bhawan Civil line, Sohagpur, Shahdol (M.P.) 484001 के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

II. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 1723 दिनांक 07.11.2014 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

III. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

IV. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

V. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल का आदेश क. 1016 दिनांक 11.08.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 19.11.2024 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. **पूर्व परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।**
2. **पूर्व परियोजना प्रस्तावक का मृत्यु प्रमाण पत्र।**
3. **लीज का वैधता का वैध प्रमाण पत्र।**

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

9. प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/464504/2024 **Case No. 2265/2015** - Prior Environmental Clearance for **Basalt Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized Method)** in an area of 2.0 ha. for production capacity of 11400 cum/year at Khasra No. 147 at Village – Abupura, Tehsil - Taal, District - Ratlam (M.P) by Shri Anil Kha S/o Shri Bashir Kha Mev, Vill-Kotdi, Post-Mandawai, The-Taal, Dist-Ratlam (M.P) **Regarding transfer of EC in the name of** Khalid Mohammed (Proprietor) Shekhawati Mines & Minerals, R/o- Village- Abupura, Tehsil- Alot, District-Ratlam, M.P

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Anil Kha S/o Shri Bashir Kha Mev, Vill-Kotdi, Post-Mandawai, The-Taal, Dist-Ratlam (M.P), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक Khalid Mohammed (Proprietor) Shekhawati Mines & Minerals, R/o- Village- Abupura, Tehsil- Alot, District-Ratlam, M.P के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक Khalid Mohammed (Proprietor) Shekhawati Mines & Minerals, R/o- Village- Abupura, Tehsil- Alot, District-Ratlam, M.P के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 2693 दिनांक 29.06.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम का आदेश क. 1884 दिनांक 14.11.2022 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 16.01.2027 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्रकरण की लीज दिनांक 08.06.2017 के श्री अनिल खां से श्री सचिन बठिया को हस्तांतरित की गई एवं श्री सचिन बांठिया द्वारा उक्त लीज की पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण अपने नाम नहीं कराया गया तथा दिनांक 14.11.2022 के द्वारा उक्त लीज सचिन बांठिया से मेसर्स शेखावटी माईन्स एण्ड मिनरल्स के नाम हस्तांतरित की गई। उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण 07 वर्ष तक नहीं कराया गया।

अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

10. प्रस्ताव क **SIA/MP/MIN/521418/2025** **Case No. 7271/2020** Prior Environment Clearance for approval of Nadanwara Pyrophylite & Diaspore Mine in an area of 8.640 ha. (21005 TPA) (Khasra No. 1, 3 & 10) at Village- Nadanwara, Tehsil- Jatara, District- Tikamgarh (MP) by Smt. Lata Mishra W/o Late Shri Prabhakar Mishra R/o Civil Line Road, Infront of Sindhi Dharmshala, Tikamgarh (M.P) **Regarding transfer of EC in the name of** Smt. Lata Mishra W/o Late Shri Prabhakar Mishra R/o Civil Line Road, Infront of Sindhi Dharmshala, Tikamgarh (MP)

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Smt. Lata Mishra W/o Late Shri Prabhakar Mishra R/o Civil Line Road, Infront of Sindhi Dharmshala, Tikamgarh (M.P), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक Smt. Lata Mishra W/o Late Shri Prabhakar Mishra R/o Civil Line Road, Infront of Sindhi Dharmshala, Tikamgarh (MP) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक Smt. Lata Mishra W/o Late Shri Prabhakar Mishra R/o Civil Line Road, Infront of Sindhi Dharmshala, Tikamgarh (MP)के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 22.01.2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. म.प्र. खनिज साधन विभाग का आदेश क. 5394 दिनांक 09.10.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 30.06.2037 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

11. **प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/521776/2024 प्रकरण क्र.11238/2024** परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक जैन आत्मज श्री अभय कुमार जैन, निवासी – ग्राम लबरिया, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर (खनन हेतु SEAC द्वारा अनुशंसित रकबा 1.0658 हेक्टेयर), खसरा नं. 707 (नया खसरा 1912), ग्राम – बोडिया, तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। **Regarding transfer of EC in the name of** Shri Ajay Patidar R/o- Gram-Jalod Kheta, Tehsil-Badanawar, Jalod Khera(Rameshpur), District- Dhar (M.P.).

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

II. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का आदेश क्र. 2247 दिनांक 13.09.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 28.04.2031 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. **पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की नोटराईज्ड प्रति।**
2. **प्रकिया शुल्क की पॉवती।**

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 2 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

12. प्रस्ताव क **SIA/MP/MIN/520118/2025 Case No. 6043/2020:** rior Environment Clearance for Metal Stone Quarry in an area of 2.0 ha. for production capacity of 44699 cum per annum, Khasra No. 1592/1, Village - Didwara, Tehsil - Luvkush Nagar, Dist. Chhatarpur (MP) by M/s A.K.Choudhary Contractors & Real Estate Pvt. Ltd, Basant Vihar Colony, Meerut Road, Dist. Bijnor, UP - 585103 **Regarding transfer of EC in the name of** Shri Somesh Bharadwaja R/O Goolar Naka Amar Cinema Banda, U.P

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक M/s A.K.Choudhary Contractors & Real Estate Pvt. Ltd, Basant Vihar Colony, Meerut Road, Dist. Bijnor, UP - 585103, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Somesh Bharadwaja R/O Goolar Naka Amar Cinema Banda, U.P के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Somesh Bharadwaja R/O Goolar Naka Amar Cinema Banda, U.P के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 2065 दिनांक 07.08.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर का आदेश क. 1126 दिनांक 03.07.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 02.10.2031 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रकरण कमांक 2065 अंकित किया गया है जबकि आवेदन में समस्त दस्तावेज प्रकरण कमांक 6043 के अपलोड किये गये जिस कारण एजेण्डे में भी प्रकरण कमांक 2065 का टाईटल अंकित हो गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

13. प्रस्ताव क्र SIA/MP/MIN/519099/2025 **Case No. 1713/2014** Prior Environment Clearance for Proposed Bijuri Coal Beneficiation Lease Area – 19.102 Acre (8.1 ha.), Capacity – 0.9 MTPA Coal Washery at Khasra No. 82, 84, 85/1, 85/2, 104, 105/1, 105/2, 85/1 part of 105/1 part 79,93,99,92 Village – Mantola, Tehsil – Kotma, Distt. – Anuppur (M.P.) by M/s Sharda Maa Enterprises Pvt. Ltd., through Director Shri Vikesh Jain Kanchenjunga Building, UGF 1 & 2, 18 Barakhamba Road, New Delhi – 110001, **Regarding Transfer of EC in the name of** Hind Energy And Coal Benefication (India) Limited, Hind Home, 1st Floor, Sai Commercial Complex, Shrikant Verma Marg.

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स Hind Energy And Coal Benefication (India) Limited द्वारा उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 02 अलग–अलग आवेदन क्रमांक SIA/MP/CMIN/478513/2024 एवं आवेदन क्रमांक SIA/MP/CMIN/519099/2025 किये गये है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक ही प्रकरण में 02 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के कारण प्रश्नाधीन आवेदन क्रमांक SIA/MP/CMIN/519099/2025 को Close किया जाता है। दोहरे आवेदन के लिये संबंधित परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार को सचेत किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. **प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/523975/2025 प्रकरण क्रमांक 9215/2014 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस.सप्लायर्स, प्रो. विकास पुलोरिया, निवासी राधावल्लभ मार्केट खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 07, ग्राम मौमीनपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) को जारी हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद सेन, निवासी– किशनकुंज कॉलोनी, जिला खरगौन (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।**

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स एस.एस.सप्लायर्स, प्रो. विकास पुलोरिया, निवासी राधावल्लभ मार्केट खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री आनंद सेन, निवासी– किशनकुंज कॉलोनी, जिला खरगौन (म.प्र.)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री आनंद सेन, निवासी– किशनकुंज कॉलोनी, जिला खरगौन (म.प्र.)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 20.10.2022 के माध्यम से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं पत्र कमांक 1097 दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से हस्तांतरित पर्यावरण स्वीकृति पत्र की प्रति।

IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन का आदेश क. 1651 दिनांक 09.10.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस.सप्लायर्स, प्रो. विकास पुलोरिया, निवासी राधावल्लभ मार्केट खरगौन, जिला खंरगौन (म.प्र.) के नाम पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 07, ग्राम मौमीनपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की हस्तांतरित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद सेन, निवासी– किशनकुंज कॉलोनी, जिला खरगौन (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 891वी बैठक दिनांक 22.08.2025 का कार्यवाही विवरण

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.10.2022 एवं हस्तांतरित पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 03.06.2024 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 24.02.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति **में निहित** समस्त विशिष्ट एवं **साधारण** शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये **एवं भारत** सरकार, पर्यावरण, **वन एवं** जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना **2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022** में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया **अनुसार शर्तों का** छःमाही अनुपालन **प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से** परिवेश पोर्टल अपलोड **किया जाये एवं क्षेत्रीय** कार्यालय पर्यावरण, **वन एवं जलवायु परिवर्तन** मंत्रालय को भी प्रेषित **किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

15. प्रस्ताव क्र SIA/MP/MIN/524518/2024 **Case No. 3498/2015:** Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-Mechanized Method) in an area of 1.0 ha. for production capacity of 6840 cum/year at Khasra nos. 82,83,84 at Village- Ghatiya, Tehsil-Ghatiya, District-Ujjain (M.P.) by Shri Narendra Singh Solanki S/o Shri Iswar Singh Solanki R/o Village Ghatiya, Tehsil-Ghatiya, District-Ujjain (MP)-456550 **Regarding Transfer of EC in the name of** Shri Amber Verma (Partner), M/s Shree Tirumala Balaji Infra Projects LLP, 72 Mangalam Apartment Indore, Tehsil-Indore, District- Indore, Madhya Pradesh.

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Amber Verma (Partner), M/s Shree Tirumala Balaji Infra Projects LLP, 72 Mangalam Apartment Indore, Tehsil-Indore, District- Indore, Madhya Pradesh के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

II. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 11615 दिनांक 22.02.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

III. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का आदेश क्र. 891 दिनांक 07.03.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 01.03.2027 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार पाया गया :–

1. **पूर्व परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।**
2. **लीज की वैधता समाप्त हो चुकी है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त प्रारंभिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जो कि आवेदन के साथ ही प्रस्तुत किये जाने थे। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

16. **प्रस्ताव क्र <u>SIA/MP/MIN/524906/2025</u> प्रकरण कमांक 3415/2015** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा.लि., निदेशक श्री मयंक राय, निवासी– व्हाईट हाउस, अर्जुन नगर रीवा जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.86 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 16,615 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 53, 54, ग्राम गडरिया, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) **की हस्तांतरित पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण,** मेसर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर श्री चंद्रप्रकाश सिंह, विन्ध्यनगर, मैन रोड़ धोती, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा.लि., निदेशक श्री मयंक राय, निवासी– व्हाईट हाउस, अर्जुन नगर रीवा जिला रीवा (म.प्र.)**, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर श्री चंद्रप्रकाश सिंह, विन्ध्यनगर, मैन रोड़ धोती, जिला सिंगरौली (म.प्र.)** के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर श्री चंद्रप्रकाश सिंह, विन्ध्यनगर, मैन रोड़ धोती, जिला सिंगरौली (म.प्र.)** के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र कमांक 6458 दिनांक 19.10.2015 के माध्यम से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं पत्र कमांक 922 दिनांक 29.06.2022 के माध्यम से हस्तांतरित पर्यावरण स्वीकृति पत्र की प्रति।

IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली का आदेश क. 2750 दिनांक 26.07.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 15.02.2026 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा.लि., निदेशक श्री मयंक राय, निवासी– व्हाईट हाउस, अर्जुन नगर रीवा जिला रीवा (म.प्र.) के नाम पत्थर खदान, एरिया 1.86 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 16,615 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 53, 54, ग्राम गडरिया, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की हस्तांतरित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर श्री चंद्रप्रकाश सिंह, विन्ध्यनगर, मैन रोड़ धोती, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.10.2015 एवं हस्तांतरित पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 29.06.2022 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली का आदेश क. 2750 दिनांक 26.07.2024 के अनुसार वैधता दिनांक 15.02.2026 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

17. प्रस्ताव क्र SIA/MP/MIN/520834/2025 **Case No. 908/2012**: Prior Environmental Clearance for Stone Boulder Quarry (Opencast Semi – Mechanized Method) in an area of 4.0 ha. for production capacity 70560 cum/year (As per Revised Mining Plan) at Khasra No. 439/1 at Village Titoria, Tehsil Ashta, District Sehore (MP) by Shri Jagdish Basantani S/o Shri Gulab Rai Basantani, 72, Shanti Nagar Colony, Berasia Road, Bhopal (MP)- 462001 **Regarding Transfer of EC in the name of** Shri Ravindra Kumar Jhala s/o Motilal Jhala, 2/96 Danish Hills, Damkheda, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042.

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Jagdish Basantani S/o Shri Gulab Rai Basantani, 72, Shanti Nagar Colony, Berasia Road, Bhopal (MP)- 462001, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Ravindra kumar jhala s/o Motilal Jhala, 2/96 Danish Hills, Damkheda, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042 के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Ravindra kumar jhala s/o Motilal Jhala, 2/96 Danish Hills, Damkheda, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042 के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 5037 दिनांक 20.08.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर का आदेश क्र. 3472 दिनांक 07.10.2022 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 02 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये साथ ही SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से प्रकिया शुल्क की पॉवती परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. **प्रस्ताव क SIA/MP/MIN/523592/2025 प्रकरण क्र. 5552/2017 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स भागचंद संचेती पार्टनर श्री गौरव संचेती, निवासी– नेहरू चौक, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 52000 टन प्रतिवर्ष रकबा 7.75 हे0, खसरा क्रमांक 32/1, 32/2, 29/1, 33/1, 31, 30/2, 29/2, 30/1, 29/3, 43/7, 35, 36, 37, 38, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, ग्राम दुलापुर, तहसील तिरोड़ी (कटंगी), जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।.**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 446वी बैठक दिनांक 19.02.2017 में लिये गये निर्णयानुसार पत्र क्र. 902 दिनांक 28.06.2017 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

प्राधिकरण द्वारा 863–ए बैठक 10.06.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 28.06.2017 में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.05.2027 के स्थान पर प्रस्तुत लीज अनुबंध दिनांक 04.02. 2017 अनुसार दिनांक 17.11.2035 तक विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 28.06.2017 में लगभग 8 वर्ष बाद पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार में टंकण सुधार हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार EC Validity Extension में आवेदन न करते हुए Corrigendum (Form-13) में आवेदन करते हुए पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार किये जाने का निवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण के परीक्षण उपरांत विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि प्राधिकरण के पूर्व निर्णयानुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु EC Validity Extension (Form-6) में आवेदन किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. **Case No.P-2/521/24 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. for production capacity of Murrum - 15000 M3/Year, Khasra No. 255/2/2, Vill. Neelbad, Tehsil – Huzur, Distt. Bhopal (MP) by Shri Deependra Rajput, Owner, Surya Nagar, Shamshabad, Vidisha M.P.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

उपरोक्त प्रकरण सेक की पूर्व बैठक में समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जा चुकी है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के दौरान पाया गया कि SEAC द्वारा पूर्व की किसी भी बैठक में उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि यदि SEAC द्वारा पूर्व की किसी बैठक में अनुशंसा की गई है तो उस बैठक का नम्बर एवं दिनांक अंकित की जाये और यदि किसी भी बैठक में अनुशंसा नहीं की गई है तो प्रकरण का परीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रेषित किये जाने हेतु प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

20. प्रस्ताव क्र **SIA/MP/MIN/524194/2025** **Case No. 2310/14** Prior Environment Clearance for Limestone mine (opencast other than fully mechanized method) in an area 7.316 ha. for production capacity of 464847 TPA (As per SEAC recommendation) at Khasra No. 152, P154, P163, P164, P165, P166, P167 at Village – Piprahat, Tehsil – Maihar, Distt. Satna (MP) by M/s. KJS Cement Ltd., Shri A.K. Singh, A.V.P., NH-7, Rajnagar, PO Maihar, Distt. Satna (MP)-485771 **Regarding Transfer of EC in the name of** M/s KJS Cement (I) Limited, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक M/s. KJS Cement Ltd., Shri A.K. Singh, A.V.P., NH-7, Rajnagar, PO Maihar, Distt. Satna (MP)-485771, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s KJS Cement (I) Limited, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s KJS Cement (I) Limited, NH-7, Rajnagar, Rewa Road, Village Amilia, District Maihar-485771, Madhya Pradesh के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र कमांक 591 दिनांक 31.05.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. म.प्र. खनिज साधन विभाग का आदेश क्र. 4497 दिनांक 20.09.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 03.11.2032 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 01 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 03.11.2023 एवं 19.02.2025 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**